दिनांक 02.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 02/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01/02.04.2024 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्लू निवासी कस्बा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड़

- **पुलिस कार्यवाही में 09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 कार आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2024 को थाना ककोड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लकड़ी बम्बा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–यामीन 2–जुनैद 3–युनुस उर्फ बौना 4–शोएब उर्फ छोटे उर्फ कादर घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 5–शाहआलम सहित गिरफ्तार किया गया एवं थाना चोला पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही में घायल अभियुक्त 6–इरशाद 7–कृष्णगिरी सहित अभियुक्त 8–जावेद 9–सुहेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त यामीन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मेरठ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त युनुस उर्फ बौना के विरूद्ध जनपद मेरठ कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त शोएब उर्फ छोटे उर्फ कादर के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त इरशाद के विरूद्ध जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त कृष्णगिरी के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–यामीन निवासी ग्राम वैर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर.

2–जुनैद निवासी ग्राम पूर्वा फैय्याज अली थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

3–युनुस उर्फ बौना निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर खर्द जनपद मेरठ।

4–शोएब उर्फ छोटे उर्फ कादर निवासी जलीकोठी कोठिया थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

5–शाहआलम निवासी जलखा थाना निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

6–इरशाद निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर खर्द जनपद मेरठ।

7–कृष्णगिरी निवासी सालेहनगर थाना जानी जनपद मेरठ।

8–जावेद निवासी घंटाघर थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

9–सुहेल निवासी कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–07 तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–02 कार आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **12 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2024 को थाना तुर्कपट्टी, खड्डा, कुबेरस्थान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नोनियापट्टी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–माइकल 2–शंकर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 12 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—माइकल निवासी पूर्वाकोट थाना कोराई जनपद जाजपुर उड़ीसा।

2—शंकर निवासी पूर्वाकोट थाना कोराई जनपद जाजपुर उड़ीसा।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—12 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हापुड़/सेक्टर—142

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2024 को थाना सेक्टर—142 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्रासा चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—नईम उर्फ रहीम 2—इमरान 3—जुल्फिकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नईम उर्फ रहीम के विरूद्ध जनपद हापुड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त इमरान के विरूद्ध दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—142 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नईम उर्फ रहीम निवासी पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

2–इमरान निवासी तरीनान, नीवली वाले कस्बा थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर, हालपता गली नं0–16 थाना सोनिया विहार दिल्ली।

3–जुल्फिकार निवासी ग्राम ओरछी थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 17 दो पहिया वाहन आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जारचा</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **19 जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2024 को थाना जारचा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छायसा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 11 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 19 जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, जीआरपी मुरादाबाद एवं कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, विद्युत चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जारचा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जावेद निवासी मोती कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1–11 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–19 जीवित कारतूस विभिन्न बोर आदि।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.04.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना बाईपास शुकुल कुआं के पास से 02 अभियुक्तों 1–अल्लन खान 2–सलीम खान उर्फ टेंशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अल्लन खान निवासी घुसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2–सलीम खान उर्फ टेंशन निवासी घुसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरात पहाड़ी के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–राजू 2–संतोष 3–बृजगोपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी कुल्हैण्डा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर।

2–संतोष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा।

3–बृजगोपाल निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी

1–10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद जालौन/थाना सिरसाकलार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पूती को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रायबरेली/थाना डीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना डीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रविन्द्र कुमार 2–संजीव कुमार उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शामली/थाना कांधला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/328/406/323/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3/5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू उर्फ मुनव्वर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को 10 वर्ष के कारावास व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 70 लाख 11 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–मोइनउद्दीन उर्फ जुम्मू 2–सर्फुद्दीन उर्फ बुद्धू 3–आफताब पुत्रगण स्व0 कमरूद्दीन निवासीगण ग्राम परछा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 70 लाख 11 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————